

का.आ. 686(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 469 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने महावीर हर्ट रिसर्च फाउंडेशन, अवन्ति अपार्टमेंट्स, गांधी मार्केट के पीछे, सिआँन (पूर्व) , मुम्बई -400020 द्वारा महाराष्ट्र में मुम्बई स्थित (क) पता लगाने, निवारण, शिक्षा और अनुसंधान (ख) बिमारी का पता लगाने, इलाज करने और दिल के मरीजों के आपरेशन (ग) अतिथि गृह को बनाए रखने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था; तथा जिसे बाद में दिनांक 4 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 18 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महावीर हर्ट रिसर्च फाउंडेशन, अवन्ति अपार्टमेंट्स, गांधी मार्केट के पीछे, सिआँन (पूर्व) , मुम्बई -400020 द्वारा महाराष्ट्र में मुम्बई स्थित चलाई जा रही (क) पता लगाने, निवारण, शिक्षा और अनुसंधान (ख) बिमारी का पता लगाने, इलाज करने और दिल के मरीजों के आपरेशन (ग) अतिथि गृह को बनाए रखने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल तीन करोड़, पंद्रह लाख, पचासी हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।